संख्या-40/2020/2161/77-3-2020-02बजट/19

प्रेषक,

आनन्द कुमार सिंह,
अनु सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

मुख्य कार्यपालक अधिकारी,
यूपीडा, पर्यटन भवन,
गोमतीनगर, लखनऊ।

औद्योगिक विकास अनुभाग-3 लखनऊः दिनांकः 27 अक्टूबर, 2020

विषय- वित्तीय वर्ष 2020-21 में आगरा-लखनऊ प्रवेश नियंत्रित 06 लेन एक्सप्रेसवे (ग्रीन फील्ड) परियोजना के अनुरक्षण हेतु अवशेष धनराशि रू. 75.63 करोड़ में से रू. 20.00 करोड़ की वित्तीय स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्रांक-1744/यूपीडा/08/147, दिनांक 07.10.2020 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा वित्तीय वर्ष 2020-21 में आगरा-लखनऊ प्रवेश नियंत्रित 06 लेन एक्सप्रेसवे (ग्रीन फील्ड) परियोजना के अनुरक्षण हेतु बजट अवशेष धनराशि रू. 75.63 करोड़ के सापेक्ष रू. 44.00 करोड़ की वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2. इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 के आय-व्ययक में आगरा-लखनऊ प्रवेश नियंत्रित 06 लेन एक्सप्रेसवे (ग्रीन फील्ड) परियोजना के अनुरक्षण हेतु अनुदान संख्या-007 के लेखाशीर्षक "5054-सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय-03-राज्य राजमार्ग-337-सड़क निर्माण कार्य-03-आगरा से लखनऊ एक्सप्रेसवे का सुदृढीकरण-24-वृहद निर्माण कार्य"के अन्तर्गत अवशेष धनराशि रू.75.63 करोड़ में से परियोजना के निर्माणकर्ताओं को अनुरक्षण कार्य हेतु अपरिहार्यता के दृष्टिगत रू. 20.00 करोड़ (रू. बीस करोड मात्र) निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल निर्गत किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान की जाती हैं:-

(1) उक्त धनराशि यूपीडा के खाते में नहीं रखी जायेगी अपितु निर्माणकर्ता संस्थाओं को सीधे प्रदान की जायेगी।

(2) धनराशि का आहरण केवल तात्कालिक आवश्यकता के अनुसार किया जायेगा।

(3) स्वीकृत धनराशि व्यय किये जाने के पूर्व वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2020/बी-1-149/दस-2020-231/2020 दिनांक 24.04.2020, शासनादेश सं0-4/2020/बी-1-192/दस-2020-231/2020 दिनांक 07.04.2020 एवं शासनादेश संख्या-5/2020/बी-1-196/दस-2020-231/2020, दिनांक 11.04.2020 एवं 18.05.2020 द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का पूर्णतया अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

(4) आहरित धनराशि के सापेक्ष उपयोगिता प्रमाण-पत्र यथासमय शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

(5) स्वीकृत धनराशि का उपयोग उसी प्रयोजन के लिए किया जायेगा जिसके लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है।

4- इस संबंध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 की अनुदान संख्या-007 के लेखा शीर्षक ''5054-सड़को तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय 03-राज्य राजमार्ग 337-सडक निर्माण कार्य 03-आगरा से लखनऊ एक्सप्रेस-वे परियोजना का सुद्ढ़ीकरण-24-वृहद निर्माण कार्य'' के नामे डाला जायेगा।

5- उक्त आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या– ई-6-742/दस-20 दिनांक 26.10.2020 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

आनन्द कुमार सिंह
अनु सचिव।

संख्या - 40/2020/2161(1)/77-3-2020 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. महालेखाकार,(लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2. महालेखाकार,(लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद
3. मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
4. निदेशक, वित्तीय सांख्यिकीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
5. वित्त (ई) अनुभाग-6/औद्योगिक विकास अनुभाग-2।
6. वित्त (आय-व्ययक्) अनुभाग-1
7. गार्ड पत्रावली।

आज्ञा से,

आनन्द कुमार सिंह
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।